

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्या: 267/2023

GCMS No.—2023/79

श्रीमती गोपाली देवी पुत्री रामनिवास पत्नि श्री दामोदर प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
  2. राधेश्याम पुत्र जुगलकिशोर जाति महाजन निवासी ग्राम माधोगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी केयर ऑफ दिनेश कुमार गुप्ता 2 जी डी रेल विहार सेक्टर 9 विधाघर नगर, जयपुर।
  3. कीर्ति गुप्ता पुत्री मनोज कुमार जाति महाजन निवासी खादी मण्डार के सामने, राजेन्द्र पारीक साहब एडवोकेट का मकान बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
- .....रेस्पाडेन्टस



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध तहसीलदार तूंगा जो उन्होंने नामान्तरण संख्या 1199 दिनांक 21.06.2023 में पारित किया।

उपस्थित:-

1. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन उपस्थित।
3. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 31.05.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, तूंगा के निर्णय दिनांक 21.06.2023 जिससे नामान्तरण संख्या 1199 ग्राम तूंगा, तहसील तूंगा स्थित कृषि भूमि का नामान्तरण रेस्पाडेन्ट संख्या 3 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.07.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या-1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या-2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूंगा से मूल नामान्तरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट प्रशानाधीन भूमि हाल खसरा नंबर 1360, 1361, 166, 167, 167/2135, 168, 169 कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर

410-1  
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)  
जयपुर

वाके ग्राम तूंगा, तहसील तूंगा के मूल खातेदार अपीलांट के पिता रामनिवास पुत्र रुडमल थे एवं अपीलांट के पिता रामनिवास के एकमात्र पुत्री संतान अपीलांट हुई एवं अपीलांट के अलावा अपीलांट के पिता रामनिवास के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं हुई। रेस्पा0 संख्या 2 जो कि जुगलकिशोर का पुत्र है उसने अपने आपको रामनिवास का दत्तक पुत्र बताते हुये एवं पगड़ी के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि रेस्पा0 संख्या 2 के हक में कोई पंजीबद्ध गोदनामा नहीं है एवं उसके अलावा रामनिवास के एकमात्र जायन्दा पुत्री के जीवित रहते हुये रेस्पा0 संख्या 2 ने अपीलांट की पैतृक भूमि को हड़प करने के लिये साजिशाना तौर पर नामान्तकरण तस्दीक करवाया है। उसके पश्चात अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति की गिफ्ट डीड अपनी पौत्री रेस्पा0 संख्या 3 के हक में कर दी जो कि अपीलांट के हक व अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है। रेस्पा0 संख्या 2 अपीलांट के पिता का पुत्र नहीं है एवं अपीलांट के पिता स्व0 रामनिवास एवं अपीलांट की माता ने कभी भी रेस्पा0 संख्या 2 को उसके जन्मदाता पिता से गोद नहीं लिया एवं अपीलांट के माता-पिता ने कभी भी रेस्पा0 संख्या 2 के पक्ष में कोई गोद की लिखावट नहीं की गयी। अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति जो कि रेस्पा0 संख्या 2 के नाम अवैध रूप से दर्ज हुई उसके संबंध में अपीलांट ने सहायक कलक्टर महोदय बस्सी जिला जयपुर के समक्ष घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें रेस्पा0 संख्या दो वकातलन उपस्थित है। रेस्पा0 संख्या 2 के पुत्र द्वारा उक्त दावे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में रेस्पा0 संख्या 2 को मनोरोगी होने के कारण दिमागी हालत ठीक नहीं होने का उल्लेख किया है इसके बावजूद रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा रेस्पा0 संख्या 3 के हक में रजि0 उपहार पत्र निष्पादित किया गया एवं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूंगा ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण द्वारा तस्दीक कर भूमि का हस्तांतरण का रेस्पा0 संख्या 3 के हक में कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूंगा द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 1199 दिनांक 21.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या-एक ल. दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजि. उपहार पत्र के आधार पर भरा जाकर रेस्पा0 संख्या 2 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें



अतिरिक्त कलक्टर (प्रधान)  
जयपुर

कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपीलांट व रेस्पा0 के हक अधिकार ए.सी.ई.एम बस्सी में विचाराधीन दावे में तय होंगे। रेस्पा0 संख्या 2 के हक में दिनांक 13.04.1973 को अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। अपीलांट द्वारा 1973 को तस्दीक किये नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील नहीं की जाकर दिनांक 21.06.2023 को तस्दीक नामान्तरकरण की अपील की है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। रेस्पा0 संख्या 2 के राशन कार्ड, ग्राम पंचायत के दस्तावेज आदि में रेस्पा0 संख्या 2 राधेश्याम पुत्र रामनिवास अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।



विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रजि. उपहार पत्र के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते हैं। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 1199 ग्राम तूंगा, तहसील तूंगा के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा अपनी (पौत्री) रेस्पा. संख्या 3 के हक में किये गये रजि0 उपहार पत्र के आधार पर रेस्पा0 संख्या 3 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर तहसीलदार तूंगा द्वारा दिनांक 21.06.2023 को स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर है कि अपीलांट रामनिवास की जायन्दा पुत्री है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 6 में संशोधन करते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी जन्म से पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना है अर्थात् पुत्र और पुत्री को पिता संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा चाहे उसके पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा अपने पुत्र रेस्पा0 संख्या 3 को जरिये रजि0 उपहार पत्र भूमि का हस्तान्तरण किया गया है जबकि अपीलांट का भी पैतृक सम्पत्ति में हक, अधिकार निहित है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा का जरिये रजि0 उपहार पत्र


3-4-2024  
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)  
जयपुर

हस्तान्तरण किया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य अपीलाधीन भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में दावा विचाराधीन होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया है एवं प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।



फलस्वरूप अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार तूंगा का आदेश दिनांक 21.06.2023 बाबत नामान्तरकरण संख्या 1199 वाके ग्राम तूंगा, तहसील तूंगा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, तूंगा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान एवं अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में निहित समस्त काश्तकार को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच कानूनी प्रावधान तथा प्रक्रिया अनुसार एवं न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में विचाराधीन दावे में पारित निर्णय तथा गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार तूंगा को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
( सुरेश कुमार नवल )  
अति.कलक्टर—प्रथम,  
जयपुर